कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक– 81 /सात–भूलेख/सेवा प्रदाता/2019–20 दिनांक– 13 नवम्बर, 2019

विज्ञप्ति

भूलेख कार्यो को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी, महोदय के आदेश दिनांक– 02.11.2019 के कम में प्रयोक्ता प्रभार मद से तहसील राबर्ट्सगंज में 02 एवं तहसील घोरावल व दुद्धी में 01–01 कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु सेवा प्रदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। तैनाती हेतु अर्हता, भर्ती विधिक एवं मानदेय निम्नवत् है:––

1	पद का नाम	अर्हता	भर्ती की विधि	मानदेय
1	कम्प्यूटर आपरेटर तहसील राबर्ट्सगंज में 02 एवं तहसील घोरावल, दुद्धी में01–01 कुल 04	1– मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्याल से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट डी0ओ0ई0 ओ0 स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट 2– डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0आफिस/लोटस स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी में डाटा इण्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्पोजर 3– हिन्दी तथा अग्रेजी के कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।	सेवा प्रदाता के माध्यम से	परिषदादेश संख्या–427/1–18–2017/क0सेल/10/2004 टी0सी02, दिनांक– 12.12.2017 के अनुसार प्रति कम्प्यूटर आपरेटर समस्त करों सहित अधिकतमरू0 17500.00 नियत प्रतिमाह।

नियम एवं शर्ते:–

1– सेवा प्रदाता संस्था को सेवा प्रदाता के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है तथा कम से कम 25 प्रशिक्षित व्यक्तिओं के आपूर्ति का पंजीकरण श्रम विभाग में होना चाहिए।

2– सेवा प्रदाता संस्था का श्रम विभाग एवं सेवा कर हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।

3– कम्प्यूटर आपरेटर की तैनाती हेतु सेवा प्रदाता के चयन के लिए निविदा फार्म जिलाधिकारी, कार्यालय सोनभद्र के भूलेख अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में मु0 500/–(रू0 पॉच सौ मात्र) देकर दिनांक– 30.11.2019 तक प्राप्त किया जा सकता है।

4– सेवा प्रदाता के शील बन्द लिफाफे में निविदा के रूप में दिनांक– 30.11.2019 तक अपरान्ह 02:00 तक प्राप्त किये जायेगे तथा उसी दिन निविदा सभी निविदा दाताओं के समक्ष अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी।

5– निविदा 02 शील बन्द लिफाफे पहला तकनीकी बिड तथा दूसरे में वित्तीय बिड भरकर एक लिफाफे में दोनो लिफाफे पैक कर शील किया जायेगा। पहले तकनीकी बिड का लिफाफा

Scanned by CamScanner

खोला जायेगा। तकनीकी बिड स्वीकृत हाने वाले सेवा प्रदाता के ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड अलग–अलग लिफाफों में डालकर एक लिफाफे मे बन्द नही होगा, तो उसे स्वीकार नही किया जायेगा।

6– सेवा प्रदाता को पिछले सेवा कर भुगतान की जमा रसीद का फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– सेवा प्रदाता फर्म को निविदा फार्म जमा करने के समय मु0 16,000/–(रू0 सोलह हजार मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा/पे–आर्डर जिलाधिकारी, सोनभद्र के नाम देय/बन्धक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता फर्म की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अग्रिम राशि के रूप में मु0 40,000/–(रू0 चालीस हजार मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा/पे आर्डर जिलाधिकारी, सोनभद्र के नाम देय/बन्धक हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

8– निविदा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, सोनभद्र को होगा।

9– किसी भी वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय सोनभद्र में होगी।

10– निविदादाता की ओर से प्रस्तुत की गयी कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

11– कार्य संतोषजनक न होने की दशा में निविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

12– सेवा प्रदाता के पास विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18, 2018–19) का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।

13– सेवा प्रदाता के पास कम से कम 05 वर्षो का मानव संसाधन आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है, जिस हेतु तिथिवार अनुभव प्रमाण–पत्र तथा कार्यादेश की प्रति भी संलग्न करें।

14– सेवा प्रदाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

15– सेवा प्रदाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो 20 लाख से कम ना हो।

16– सेवा प्रदाता द्वारा यह शपथपत्र संलग्न अनिवार्य होगा कि उन्हे किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

17– सेवा प्रदाता को इस शपथ पत्र 100 रू0 नोटरी पर देना होगा।

18– सेवा प्रदाता द्वारा कम से कम 1 कार्यादेश संलग्न अनिवार्य है जिसमें 30 या 30 से अधिक मानव संसाधन की आपूर्ति हो।

19– सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0/ई0एम0ई0 का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

20– ई0पी0एफ0 जमा के अन्तिम 06 माहों के चालान प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

21–सेवा प्रदाता को जी0एस0टी0एन0 पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

22– जी0एस0टी0एन0 रिटर्न (फार्म 3बी/4) विगत 06 माह का संलग्न करना अनिवार्य है।

23– सेवा प्रदाता को CIN,PAN,TAN,GST,EPF,ESI,ISO, Labour में पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

24– सेवा प्रदाता को आई0एस0ओ0 9001:2015 & 27001:2013 पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

25– सेवा प्रदाता को कम से कम 05 विभागों में मानव संसाधन आपूर्ति कराने का कार्यादेश या अनुबन्ध पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अपर जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Scanned by CamScanner